## एसीटी में एक निजी सुरक्षा आदेश या एक पारिवारिक हिंसा आदेश के लिए आवेदन करना विडियो की प्रतिलिपि

## Applying for a Personal Protection Order or Family Violence Order in the ACT Transcript of Video

## Translation into 'Hindi'

This video will explain the process for applying for a personal protection order or family violence order in the ACT.

इस विडियो में एसीटी में एक निजी सुरक्षा आदेश या एक पारिवारिक हिंसा आदेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा।

If you are experiencing violence, you can apply to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates Court, for a court order. A court order puts conditions on another person, like having to stay away from you or not contacting you.

यदि आप हिंसा का सामना कर रहे/ही हैं, तो आप न्यायालय का आदेश प्राप्त करने के लिए एसीटी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट,

ACT Magistrates Court, में आवेदन कर सकते/ती हैं।

If you are granted an order and it is served by the police on the other party, any breach of the order can be reported to the police because it may be a criminal offence.

यदि आपको आदेश प्राप्त हो जाता है और पुलिस द्वारा उसे दूसरे पक्ष को दे दिया जाता है, तो उस आदेश के किसी भी उल्लंघन के बारे में पुलिस को सूचना दी जा सकती है क्योंकि वह उल्लंघन एक दणडनीय अपराध हो सकता है।

To apply, you need to fill in an application form and lodge it 'in person' at the ACT Magistrates Court.

आवेदन करने के लिए, आपको एक आवेदन-पत्र भर कर एसीटी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में 'व्यक्तिगत रुप से' जाकर जमा करवाना होगा।

The forms are available from the Court enquiry counter or the ACT Magistrates Court website <a href="https://www.courts.act.gov.au/protection">www.courts.act.gov.au/protection</a>

यह फॉर्म न्यायालय पूछताछ काउंटर या एसीटी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट की वेबसाइट

www.courts.act.gov.au/protection पर उपलब्ध हैं।

Assistance with the forms is available from the Domestic Violence Crisis Service, DVCS, or from Legal Aid, which both have offices within the Court building.

फॉर्मों से संबंधित सहायता घरेलू हिंसा संकटावस्था सेवा, DVCS से, या Legal Aid से मिल सकती है, इन दोनों के कार्यालय न्यायालय भवन के अंदर ही हैं।

Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English.

जो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं उनके लिए टेलिफोन पर दुभाषिया भी उपलब्ध करवाया जा सकता है।

When coming to Court, you will be required to go through security and take a numbered ticket. Our counter staff will assist you when your number is called.

न्यायालय में आने के लिए, आपको सुरक्षा व्यवस्था से होकर गुज़रना होगा और सँख्या (नंबर) लिखा हुआ एक टिकट लेना होगा। जब आपका नंबर पुकारा जाएगा तो काउंटर पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा आपकी सहायता की जाएगी।

You can come to the Court alone or with family members, support persons or a lawyer. If you believe your matter is urgent, please advise the counter staff.

आप न्यायालय में अकेले/ली या अपने परिवार के सदस्यों, सहायता व्यक्तियों या एक वकील के साथ आ सकते/ती हैं। यदि आपको लगता है कि आपका मामला अत्यंत महत्वपूर्ण (अरजेंट) है, तो कृपया काउंटर पर उपस्थित कर्मचारी को बताएँ।

The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.

न्यायालय पूछताछ काउंटर सवेरे 9 बजे खुलता है और यह सलाह दी जाती है कि आप उससे पहले वहाँ पहुँच जाएं।

If you need immediate protection from violence, you can indicate on the application form that you want to apply for an interim order.

यदि आपको हिंसा से तुरंत सुरक्षा पाने की आवश्यकता है, तो आप अपने आवेदन-पत्र में यह संकेत दे सकते/ती हैं कि आप एक अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते/ती हैं।

An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court. अंतरिम आदेश एक अल्पकालिक आदेश होता है, जो तब तक के लिए लागू होता है जब तक न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।

If you apply for an interim order, a Deputy Registrar will listen to you in Court, and make a decision whether to grant an interim order or not.

यदि आप अंतिरम आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे/गी, तो न्यायालय में एक उप रजिस्ट्रार द्वारा आपकी बात सुनी जाएगी, और यह निर्णय लिया जाएगा कि एक अंतरिम आदेश देना है या नहीं।

In Court, you will need to take an oath or affirmation that what you are saying is true. You will need to tell the court, what the other person did that made you fear for your safety (this is known as 'giving evidence').

न्यायालय में, आपको एक शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप जो भी कह रहे/ही हैं वो सत्य है। आपको न्यायालय को यह बताना होगा कि, दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिससे आपको अपनी सुरक्षा के लिए भय लगने लगा (इसे 'प्रमाण देना' कहते हैं)।

The Deputy Registrar will ask you a series of questions about, why you are afraid, personal circumstances and living arrangements. A telephone interpreter is made available for persons who do not speak English.

उप रजिस्ट्रार द्वारा आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, आपको डर क्यों लग रहा है, आपकी निजी परिस्थितयों और रहने की व्यवस्था के बारे में। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं उनके लिए टेलिफोन पर दुभाषिया उपलब्ध करवाया जाता है।

The court only makes an interim order if there is an immediate need for it.

न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश तभी दिया जाता है, जब उसकी तुरंत ज़रुरत होती है।

If an interim order is granted, it will only take effect when the Police give a copy, or 'serve' the order' on the other party, who is known as the 'respondent'.

यदि एक अंतरिम आदेश दिया जाता है, तो वह तभी प्रभावी होता है जब पुलिस द्वारा उसकी प्रति, दूसरे पक्ष को, जिसे 'प्रतिवादी' कहते हैं, दी जाती है, या 'आदेश को सर्व' कर दिया जाता है।

If you wish to apply for an interim order, it is best you lodge your documents before 11.30 am so you can be heard by a Deputy Registrar on the same day.

यदि आप अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते/ती हैं, तो यह अच्छा रहेगा कि आप अपने दस्तावेज़ सवेरे 11 बजकर 30 मिनट से पहले जमा करवा दें ताकि एक उप रजिस्ट्रार द्वारा आपकी बात उसी दिन सुनी जा सके।

If your application is lodged after 11.30am, the court will decide if the circumstances are urgent

enough for the interim order to be heard in court that day, or the next normal working day.

यदि आपका आवेदन-पत्र सवेरे 11 बजकर 30 मिनट के बाद जमा करवाया गया तो न्यायालय द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो आवेदन इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर सुनवाई उस दिन की जाए या अगले सामान्य कार्य-दिवस पर।

If you are applying for an interim order, you will have to wait for your matter to be heard in court. The timeframe is dependent upon the number of applications and how long each takes to hear.

यदि आप एक अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे/ही हैं, तो आपको अपने मामले की न्यायालय में सुनावाई होने तक इंतज़ार करना होगा। इसमें कितना समय लगेगा यह इस पर निर्भर करता है कि सुनवाई के लिए कितने आवेदन लगाए गए हैं और प्रत्येक मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है।

Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare.

कृपया सुनिश्चित करें कि पार्किंग या अपने बच्चों के लिए देखभाल की व्यवस्था करते समय आप इन बातों को ध्यान में रखें।

All applicants will be given a notice advising when you have to come back to court for a court conference.

सभी आवेदकों यह बताने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा कि उन्हें न्यायालय में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए कब आना होगा?

The conference process is explained in the next video.

कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया को अगले विडियो में समझाया गया है।

Every situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.

हर स्थिति अलग होती है, और जो होगा वो विडियो में जो दिखाया गया है बिल्कुल वैसा हो यह ज़रुरी नहीं है।

If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000.

यदि आपके प्राण संकट में हैं या आप तत्काल ख़तरे में हें तो 000 पर फोन करें।

There are also organisations which may be able to assist you.

कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं।

For further information please visit the ACT Magistrates Court website or contact the Protection Unit in the Court Registry.

अधिक जानकारी के लिए कृपया एसीटी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं या न्यायालय रजिस्ट्री की सुरक्षा ईकाई से संपर्क करें।